LETS RECOVER OUR
IMAM PROPERTY TOGETHER

IMAMPROPERTY.COM

COLLABORATION - INFORMATION - REDEMPTION

अपील

देश में ऐसी बहुत सी सम्पत्तियाँ हैं। जो अल्लाह, रसूल और इमाम से सम्बन्ध रखती हैं। जिसे हमारे पुर्वजों ने धर्म और समाज की उन्नति के लिए वक्फ़ किया था मगर अफसोस है कि आज वही अनमोल सम्पत्तियाँ जो धर्म और समाज के विकास के लिए वक्फ़ की गई थीं उन्हें उन्ही सम्पत्तियों के प्रबन्धक एवं संरक्षक ही लूट खसोट रहे हैं और उस लक्ष्य की अनदेखी की जा रही है जिसके लिए ये सम्पत्तियाँ वक्फ़ की गई थीं।

सर्वे के अनुसार यदि इन सम्पत्तियों का प्रयोग वक्फ़ करने वाले की सोच के हिसाब से बिल्कुल सही–सही कर दिया जाय तो मुसलमानों की सभी आर्थिक समस्याएँ खत्म हो जाएँ। ये वक्फ़ सम्पत्तियाँ मालियत के हिसाब से लग–भग साठ लाख एकड़ भुमि की सूरत में मौजूद हैं जो रेलवे और रक्षा जैसे बड़े विभागों के बाद तीसरे नम्बर पर है। वक्फ़ की आय समाज सेवा, चिकित्सा एवं शिक्षा के साथ–साथ मजलिसों और धर्म के प्रचार–प्रसार में खर्च की जानी चाहिए।

वाकिफ़ की मर्ज़ी के अनुसार इन सम्पत्तियों के प्रबन्धन एवं रक्षा हम सब की समाजिक व धार्मिक ज़िम्मादारी है। हमारे समाज के अधिकतर लोग इन सम्पत्तियों में लूट खसोट होते देख रहे है मगर उनमें विभिन्न प्रकार के लोग हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ये वक्फ़ सम्पत्तियों की रक्षा एक ऐसी समस्या है जिसके लिए हर प्रयत्न बेकार है, कुछ लोगों का मानना है कि जब समाज के बड़े–बड़े लोग ही वक्फ़ सम्पत्तियों को हानि पहुँचा रहे हैं तो हम जैसा आम नागरिक क्या कर सकता है कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चाहते तो हैं कि खोई हुई वक्फ़ सम्पत्तियाँ वापस मिले मगर उनके पास ना ही समय है ना ही वक्फ़ सम्पत्तियों के बारे में कोई कोनूनी जानकारी।

केन्द्र सरकार ने वक्फ़ के लिए नये–नये नियम बनाए हैं वक्फ़ सम्पत्तियों के मामलों को हल करने के लिए अलग से एक न्यायालय का प्रबन्ध किया है मगर हमारे समाज के सीधे–सादे लोगों को इन बातों की जानकारी ही नही है तो उन नियमों से लाभ उठाना तो दूर की बात है। हालाँकि सरकारें इसमें भी अपना निजी लाभ सोच रही हैं और प्रशासन इन नियमों को लागू करने में कतरा रहा है। अगर आप हमारा साथ दें! तो हम नये–नये नियमों के द्वारा खोई हुई वक्फ़ सम्पत्तियाँ पुनः प्राप्त कर सकते हैं और जो सम्पत्तियाँ बाक़ी बची हुई है उन की उचित तरीके से रक्षा कर सकते है।

आप वक्फ़ सम्पत्तियों की रक्षा में किस तरह सहयोग करें

अगर आपके पास वक्फ़ से सम्बंधित कोई कागज़, वसीयत नामा, वक्फ़ नामा, वक्फ़ मुकद्वमें की फाइल आदि हो तो उसे हमारे ई–मेल kalbejawad12@gmail.com पर भेजें।

अगर आपकी जानकारी में किसी वक्फ़ सम्पत्ति पर कोई भी खुर्द–बुर्द हो रही हो तो उसका फोटो एवं विवरण हमें भेजें। आप अपने ज़िले में "सूचना के अधिकार" नियम के अन्तर्गत वक्फ़ से सम्बंधित सूचना प्राप्त करें और अपने राज्य के वक्फ़ बोर्ड से दफा 37 की नक्ल प्राप्त करके हमें सूचित करें।

खुली हुई बात है कि ये कार्य कुछ क्षणों का तो नही मगर इसका आरम्भ करके काफी हद तक इमाम की लुटी हुई सम्पत्तियों को प्राप्त करने में और बची हुई सम्पत्तियों की रक्षा करने में आप हमारी सहायता कर सकते है।

आपको अल्लाह तआला मासूमीन[अ0स0] के सदके में इसका बेहतरीन अज्र देगा।

वक्फ़ से सम्बन्धित अधिक जानकारी वेब साइट www.imamproperty.com से भी प्राप्त कर सकते हैं।

मिनजानिब

सै0 कल्बे जवाद नक़वी 37, जौहरी मुहल्ला, चौक, लखनऊ 3

सम्पर्क: +91-7007171265 E-mail: kalbejawad12@gmail.com